प्रेस विज्ञप्तिः-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–13 सहारनपुर द्वारा अभियुक्तगणों को 20–20 वर्ष का कारावास व 01–01 लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः –

अवगत कराना है, कि दिनांक 19.06.2014 को वादी कृष्णपाल उर्फ किशन पुत्र श्वण सिंह नि0 सांगाठेडा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर की पुत्री को अभियुक्तगण विजेन्द्र पुत्र सतपाल एवं रविन्द्र पुत्र सतपाल निवासीगण सांगाठेडा थाना गंगोह स0पुर द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने की सूचना पर मु0अ0स0 308/2014 धारा 363,366 भादवि में थाना गंगोह पर पंजीकृत किया गया, बाद विवेचना उपरोक्त मुकदमे में धारा 376डी भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 702/2014 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–13 स0पुर में विचाराधीन था।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में थाने स्तर से की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के कारण माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–13 स0पुर द्वारा आज दिनांक 18.01.2021 को अभियुक्तगण विजेन्द्र पुत्र सतपाल एवं रविन्द्र पुत्र सतपाल को मु0अ0स0 308/2014 धारा 363,366,376डी भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम में दोषी पाते हुए 20–20 वर्ष का कारावास व 01–01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।